

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)द्वितीय एसीपी / पार्ट-III / अलेसे-III /

दिनांक:-

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष

विषय:-एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने हेतु प्राप्त प्रकरण में निम्न तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 के अनुसार कमियां पाई गई हैं। अतः आप सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार के प्रकरण में पाई गई कमी/आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण अविलम्ब इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करावें :-

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	मेरिट नम्बर	पदस्थापन कार्यालय	आक्षेप का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री बृजलाल बैरवा	425/92	कोषालय, कोटा	वर्ष 2007-08 से 2013-14 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त।
2.	श्री नैनसिंह तंवर	528-ए/95	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर	वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 से 2012-13 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त।
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता	286/94	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा	वर्ष 2005-06 से 2007-08 एवं 2009-10 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त।

भवदीय

(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-III)

क्रमांक :- F4(ई)द्वितीय एसीपी / पार्ट-III / अलेसे-III / 507

दिनांक:- 16-08-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
2. उपनिदेशक(एसीपी), विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)